पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी एवं सशक्तिकरण: उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद की ग्राम पंचायतों के विशेष संदर्भ में

राजनीति विज्ञान में पी-एच.डी की उपाधि की आंशिक पूर्ति हेतु

प्रस्तावित रूपरेखा

शोधार्थिनी

रेखा कुशवाह

सह-पर्यवेक्षक

डॉ. बीरपाल सिंह ठैनुआं

पर्यवेक्षिका

डॉ. रचना यादव

समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान विभाग, समाज विज्ञान संकाय

दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी)

दयालबाग, आगरा - 282005

2024

प्रस्तावना:

भारतीय समाज की आधारभूत संस्थाओं में जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार एवं ग्राम पंचायत वे संस्थाएं हैं जिनको समझे बिना भारतीय समाज को नहीं समझा जा सकता है। परंपरागत रूप से भारतीय समाज में चली आ रही ग्राम पंचायतें पूर्णतः लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित थीं; इसलिए महात्मा गांधी ने भारतीय ग्रामों को लघु गणतंत्र तक कहा है (गांधी,1962)। राजनीतिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र एक आधुनिक विचारधारा है लेकिन एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में यह भारतीय समाज में हजारों वर्षों से चली आ रही है। परंपरागत रूप से चली आ रही भारतीय ग्राम पंचायत व्यवस्था का आधार यही सामाजिक लोकतंत्र था। यह लोकतंत्र भारतीय ग्रामीण पंचायत में जीवंत था। आधुनिक भारतीय समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्था केंद्र से लेकर गली-मोहल्ले तक विकेंद्रीकृत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का साकार रूप हमें पंचायती राज व्यवस्था में दिखाई देता है।

पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सत्ता और शक्ति के ढांचे को जन-जन तक पहुंचाने की व्यवस्था है। भारतीय प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था मूल रूप से विकेंद्रीकरण पर आधारित शासन व्यवस्था है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,21,01,93,422 है। जिसमें से 83,30,87,662 (68.83%) व्यक्ति अभी भी गांव में रहते हैं https:www.census2011.com.in)। भारतीय ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं में ग्राम पंचायतों का विशेष महत्व होता है। कोई भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था तब तक सफल नहीं हो सकती, जब तक कि निचले स्तर पर लोकतांत्रिक मान्यताएं एवं मूल्य शक्तिशाली नहीं हों।

लोकतंत्र का अर्थ उस शासन व्यवस्था से है, जिसमें राज्य की सत्ता पूरे समाज के हाथों में है, किसी विशेष वर्ग या श्रेणी के पास नहीं है (ब्रायस,1993)।

पंचायती राज व्यवस्था वह महत्वपूर्ण संस्था है, जिसके माध्यम से भारत जैसे विशाल और विविधताओं वाले देश में प्रशासन आम जनता तक पहुंचता है तथा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय लोगों द्वारा ही की जाती है। यही सच्चे लोकतंत्र और पंचायती राज व्यवस्था का सार है।

भारत में पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास प्राचीन है, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 73वें

संविधान संशोधन,1992 द्वारा दिया गया। इस संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया है, साथ ही महिलाओं को भी एक तिहाई (33%) आरक्षण के माध्यम से पंचायतों में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। शासन की बागड़ोर अब किसी विशेष या उच्च वर्ग के ही हाथों तक सीमित नहीं है, वरन समाज के संपूर्ण वर्ग एवं सदस्यों तक यह विकेंद्रीकृत है। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के द्वारा स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान तो हुआ ही है, साथ में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने से महिला सशक्तिकरण को भी मजबूती मिली है। जिससे महिलाओं में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं।

पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा

शाब्दिक दृष्टि से पंचायत शब्द को संस्कृत भाषा के 'पंचायतन्' शब्द से जाना जाता है। जिसका अर्थ होता है 5 व्यक्तियों का समूह, 5 एक विषम संख्या है, जिसे दो समान भागों में नहीं बांटा जा सकता। इस प्रकार निर्णय एक पक्ष की ओर से सुनिश्चित किया जा सकता है। महात्मा गांधी के अनुसार- "पंचायत शब्द का शाब्दिक अर्थ ग्रामवासियों द्वारा चयनित 5 जनप्रतिनिधियों की सभा से है" (गांधी,1962)।

मानक हिंदी कोष के अनुसार- "पंचायत के शाब्दिक अर्थ के विषय में मानक हिंदी कोष में बताया गया है कि, प्राचीन भारतीय समाज में वह व्यक्ति या कुछ लोगों का वर्ग जो सामाजिक समस्याओं एवं झगड़ों का निर्णय करने के लिए चुना या नियत किया जाता था, पंच कहलाता था और ऐसे लोगों की संख्या प्राय: पांच होती थी तथा इन पांचों की सभा को ही पंचायत कहा जाता था" (वर्मा,1964)।

भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास

भारत में प्राचीन काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में किसी न किसी रूप में स्थानीय स्वशासन में पंचायतों का स्वरूप देखने को मिलता है:-

- **वैदिक काल में पंचायतों का स्वरूप**

वैदिक काल में ग्राम प्रबंधन गांव के मुखिया के द्वारा होता था, जिसे ग्रामीण कहा जाता था। गांव की चौपाल पर इस सभा के सदस्य बैठकर चर्चा करते थे।

- **उत्तर वैदिक काल में पंचायतों का स्वरूप** उत्तर वैदिक काल में रामायण और महाभारत में भी पंचायतों की महत्वपूर्ण स्थिति देखने को मिलती है। ग्राम पंचायत के शासक को ग्रामीण की जगह ग्रामिक कहा जाने लगा।

- **बौद्ध काल में पंचायतों का स्वरूप**

  बौद्ध काल में पंचायतों के स्वरूप के बारे में जातक कथाओं से पता चलता है, कि गांव के शासक को ग्राम भोजक कहा जाता था।

- **मौर्य काल में पंचायतों का स्वरूप**

  मौर्य काल में शासन में सत्ता के विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाया गया था। गांव शासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई होते थे। गांव के लोगों द्वारा चुना गया व्यक्ति ग्रामिक (गांव का प्रधान) होता था।

- **गुप्तकालीन पंचायतों का स्वरूप**

  गुप्तकालीन पंचायती राज व्यवस्था अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। इस समय राजवंशी प्रणाली थी, लेकिन फिर भी शासन का विकेंद्रीकरण किया गया था। ग्रामीण मामलों के प्रबंधन हेतु सोपानिक पंचायती राज व्यवस्था विद्यमान थी।

- **वर्धन कालीन पंचायतों का स्वरूप**

  सुविधा की दृष्टि से प्रशासनिक व्यवस्था राष्ट्र, भक्ति, विषय एवं ग्राम आदि में विभाजित थी। भक्ति से तात्पर्य प्रांत से था और विषय का जिले से होता था। ग्रामिक गांव का प्रमुख होता था।

- **राजपूत कालीन पंचायतों का स्वरूप**

  राजपूत काल में सामंतवादी प्रथा प्रचलित थी। गांव का शासन ग्राम पंचायतों द्वारा चलता था, जो दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मुद्दों पर फैसला लेती थी।

- **मुगलकालीन पंचायतों का स्वरूप**

  संपूर्ण मुगल प्रांत सरकारों और जिलों में बंटा हुआ था। शासन की छोटी इकाई परगना कहलाती थी, परगने गांव में विभक्त थे। गांव में पंचायत होती थी, जिसके मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था। इस काल में सामान्यतः काजी, मीर, आदिल आदि न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के उपरांत भी प्रांत में ग्राम पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण थी।

- **सल्तनत कालीन पंचायतों का स्वरूप**

  सल्तनत काल में शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया था। ग्राम प्रबंधन चौकीदार, पटवारी, खुद, चौधरी, मुकद्दम आदि अधिकारियों द्वारा किया जाता था।

- **ब्रिटिश काल में पंचायतों का स्वरूप**

  ब्रिटिश काल में नई प्रशासनिक, न्यायिक, राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था के कारण हजारों वर्ष से चली आ रही ग्राम पंचायतों का विघटन हुआ। वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों ने ग्राम पंचायत के महत्व को समझा और ग्राम पंचायतों की पुनर्स्थापना के प्रयास किए। इसी क्रम में 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासनिक संस्थाओं की पुनर्स्थापना करने हेतु प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव को कार्यान्वित करने हेतु 1883 व 1884 में बंगाल एवं मद्रास आदि प्रांतों में स्थानीय स्वशासन लागू किया गया। 1919 में मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुझाव के कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा द्वैध शासन लागू होने के बाद पंचायत का विषय केंद्रीय सरकार का न होकर प्रांतीय सरकार का विषय बन गया। वर्ष 1935 के गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा द्वैध शासन का अंत कर दिया गया तथा 1946 में ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पंचायती राज व्यवस्था

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् स्थानीय स्वशासन तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में नई पहल प्रारंभ हुई। भारत

में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। 73वें संविधान संशोधन 1992 में अनुसूची 11 को जोड़ा गया, जिसमें पंचायती राज की अवधारणा दी गई। संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243(0) तक, नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 में तथा संविधान की अनुसूची 11 में दिया गया है।

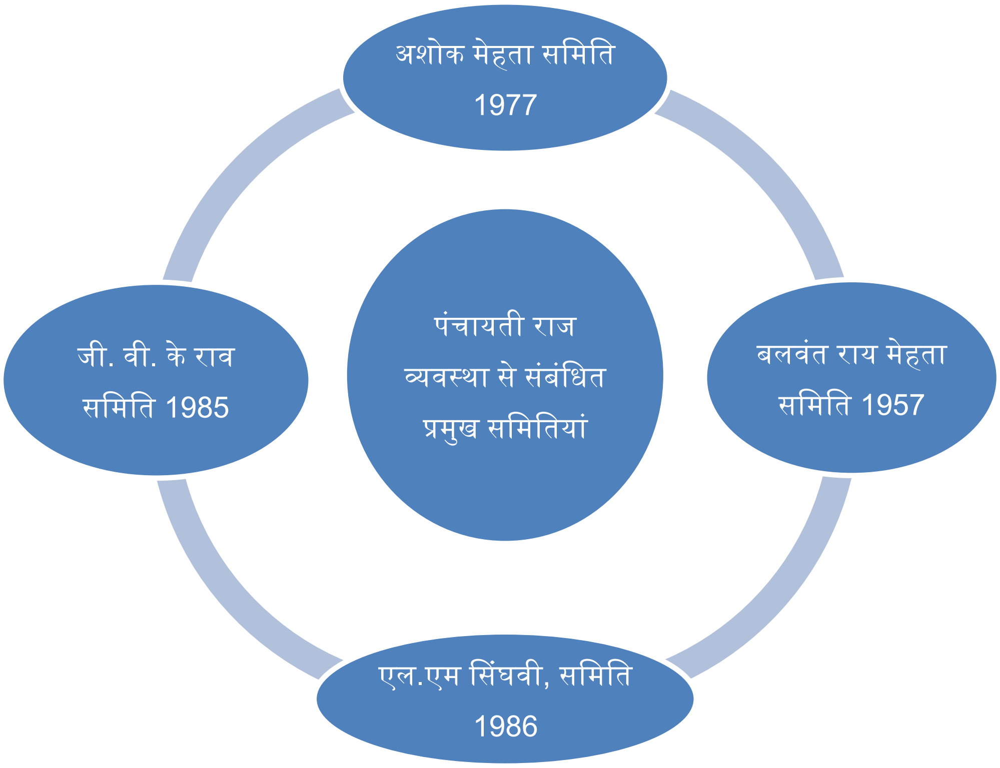

चित्र संख्या 1.1 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रमुख समितियां

- **बलवंत राय मेहता समिति 1957**

  बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना गुजरात के मुख्यमंत्री जीव नारायण मेहता की अध्यक्षता में 16 जनवरी 1957 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय प्रचार प्रसार सेवा कार्यक्रम की सफलता की जांच और सुधार करने के लिए की गई। समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 1958 में सरकार को सौंप दी, जिसमें पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाए जाने, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की सिफारिश की गई।

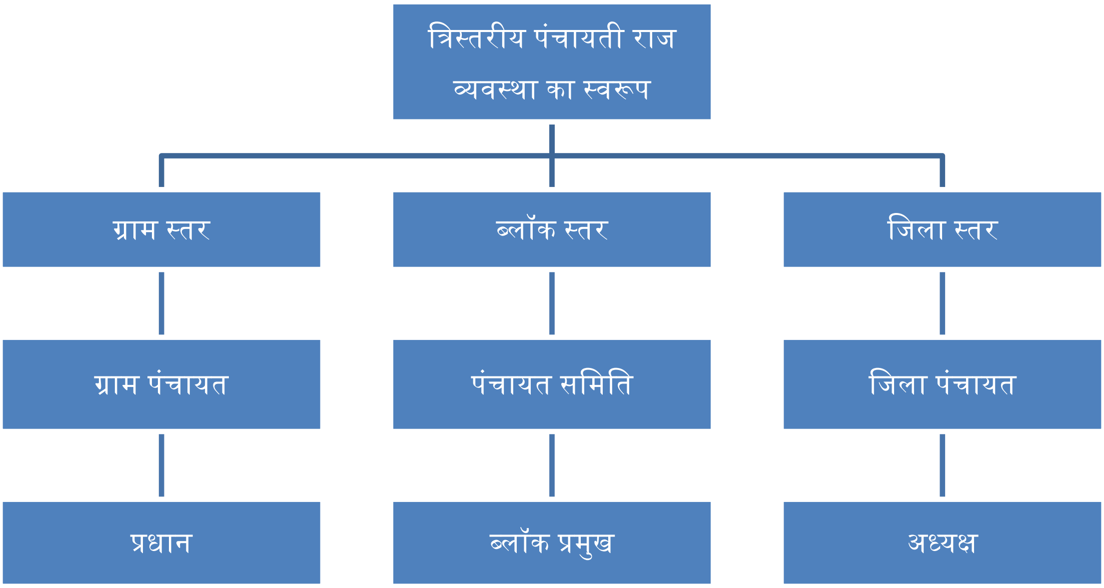

चित्र संख्या 1.2 त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था

- **अशोक मेहता समिति 1977**

पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा करने एवं उसे और अधिक प्रभावी बनाने हेतु तत्कालीन जनता पार्टी के द्वारा सितंबर 1977 को श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में 13 सदस्यों की अशोक मेहता समिति का गठन किया गया।

अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1978 में प्रस्तुत की। समिति ने अपनी रिपोर्ट में पंचायती राज संस्थाओं को द्वि-स्तरीय बनाए जाने (जिला स्तर पर- जिला परिषद और मंडलस्तर पर- मंडल पंचायत) तथा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने जैसे महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

- **जी. वी. के राव समिति 1985**

जी. वी. के. राव समिति का गठन 25 मार्च, 1985 को योजना आयोग द्वारा किया गया। समिति ने दिसंबर1985 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति का मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं गरीबी उन्मूलन से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा करना एवं साथ ही पंचायतीराज के अंगों का प्रशासनिक निकायों से संबंध का अध्ययन करना था।

- **एल.एम सिंघवी, समिति 1986**

  डॉ.एल.एम सिंघवी की अध्यक्षता में जून 1986 को समिति का गठन किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्थानीय स्वशासन को संविधान में एक नया अध्याय जोड़ कर संवैधानिक रूप से मान्यता, सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किए जाने का सुझाव दिया। पंचायतीराज की संस्थानों का चुनाव निर्धारित कार्यकाल की अवधि के समाप्त होते ही तत्काल किए जाने की सिफारिश की।

73वां संविधान संशोधन 1992

73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी नरसिंहाराव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ। अधिनियम से संबंधित विधेयक के संसद द्वारा पारित हो जाने के बाद, 20 अप्रैल1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और 24 अप्रैल1993 से संविधान संशोधन अधिनियम लागू हो गया, इसलिए 24 अप्रैल के दिन को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 में पंचायत नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243-243(O) पंचायतीराज से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची के व्यवस्था की गई है, जिन पर पंचायत कार्य करती है। अधिनियम में पंचायतीराज को संवैधानिक दर्जा देने, ग्राम न्यायालय का गठन करने, राज्य चुनाव आयोग के गठन करने, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने जैसे महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए।

वर्तमान में पंचायत एवं उनकी संरचना का गठन

एक ग्राम पंचायत में एक या एक से अधिक गांव हो सकते हैं। जिला दंडाधिकारी द्वारा अधिसूचित यथासंभव 7000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया कहलाता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव यथासंभव 500 की जनसंख्या पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष मतदान के जरिए होता है।

- **ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल**

  ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष होता है। कार्यकाल पूरा होने पर अथवा किसी स्थिति में पद रिक्त होने पर छह माह में पुन: निर्वाचन करवाना आवश्यक होता है।

- **ग्राम पंचायत में आरक्षण की व्यवस्था**

  73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 21%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% एवं महिलाओं को 33%आरक्षण प्रदान किया गया है।

- **ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन**

  ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम के मताधिकार प्राप्त व्यक्तियों द्वारा साधारण बहुमत से किया जाता है। ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा की जाती है। सदस्यों की संख्या 7 से 31तक हो सकती है, लेकिन कभी भी 7 से कम नहीं होनी चाहिए।

- **ग्राम पंचायत के सदस्यों की योग्यता**

  ग्राम पंचायत के अधिनियम में निम्न योग्यताएं निर्धारित की गई है-

- आयु 21वर्ष हो।
- किसी लाभ के पद पर न हो।
- पागल या दिवालिया न हो।
- अनैतिक आचरण के कारण राज्य सेवा से पृथक न किया गया हो।
- किसी गंभीर रोग से ग्रस्त न हो।
- 23 अप्रैल1994 के बाद 2 से अधिक संतान न हो।

- **पंचायत सदस्यों के त्यागपत्र से संबंधित प्रावधान**

  ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य अपने द्वारा हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के 15 दिन बाद त्यागपत्र प्रभावी हो जाएगा।

- **पंचायत की बैठक**

  ग्राम पंचायत अपने कार्यों के व्यवहार के लिए उतनी बार जितनी बार आवश्यक है और 15 दिन में कम से कम एक बार पंचायत के कार्यकाल पर सदस्यों की अध्यक्षता में बैठक करेंगी। साधारण बैठकों के लिए 7 दिन का नोटिस और विशेष बैठक के लिए 3 दिन का नोटिस दिया जाता है। ऐसी बैठकों के लिए स्थान, तारीख और समय तथा बैठक के विचारणीय मुद्दों को सूचित करते हुए पंचायत सूचना पटल पर लगाया जाता है तथा सदस्यों को इससे संबंधित सूचना दे दी जाती है।

- **पंचायत के कार्य एवं शक्तियां**

  भारतीय संविधान कीअनुसूची 11 के तहत पंचायत 29 विषयों पर कार्य कर सकती है, जो निम्न है- बजट तैयार करना, विकास योजना तैयार करना, कृषि विस्तार, पशुपालन, डेरी, मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी, लघु सिंचाई, खादी ग्राम एवं कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, जल, ईंधन, सड़क निर्माण विद्युतीकरण, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, तकनीक एवं व्यवसायिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम में मीडिया और मेले, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, परिवार कल्याण, महिला और बाल कल्याण, समाज कल्याण, कमज़ोर वर्ग का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामुदायिक संपत्ति की देखभाल और रखरखाव आदि।

महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च 1975 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से मानी जाती है लेकिन महिला सशक्तिकरण की पहल 1985 में महिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, नैरोबी में की गई। इससे पूर्व भारत सरकार द्वारा समाज में लिंग आधारित भेदभाव को दूर करने के लिए महिला कल्याण नीति 1953 में घोषित की गई। राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया तथा महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति 2001 में पारित की गई थी। महिला सशक्तिकरण से

तात्पर्य, महिलाओं को पुरुषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। भारत में महिला सशक्तिकरण का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक दशा में सुधार करना है।

महिला सशक्तिकरण के द्वारा न केवल महिलाओं को उनकी स्थिति में सुधार करने का अवसर मिलता है अपितु वे ऐसी स्थितियों में पहुंचने में सक्षम होती हैं, जो उन्हें इस महिला पुरुष की गैर-बराबरी से मुक्ति दिलाने में सहायक होती हैं। महिलाएं सदैव भारतीय सामाजिक व्यवस्था में सांस्कृतिक एवं पारिवारिक व्यवस्थाओं का पुरुषों के समान आधार आधार रही है। आज जीवन के हर क्षेत्र में उनका योगदान बढ़ रहा है। महिलाओं की दिनचर्या पुरुषों से पहले प्रारंभ होती है और पुरुषों के बाद समाप्त होती है लेकिन उनके कार्य की गणना नहीं की जाती है इसलिए महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव है। महिला सशक्तिकरण के द्वारा इस भेदभाव का अंत संभव है।

संसद में महिला आरक्षण विधेयक 29 सितंबर 2023 से कानून बनने के पश्चात महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिलने के साथ-साथ आधी आबादी के प्रतिनिधित्व को भी बढ़ावा मिला है। महिला आरक्षण विधेयक 128 वां संविधान संशोधन विधेयक है। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है। इस विधेयक के प्रभाव से लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्राप्त हुआ है। लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा जनजाति की महिलाओं को भी आरक्षण प्राप्त हुआ है किंतु यह विधेयक होने वाली जनगणना के पश्चात प्रभावित होगा वर्तमान में लोकसभा में कुल 15% ही महिला सांसद है। विधेयक के प्रभावी होने के पश्चात यह आंकड़ा 33% हो जाएगा, जो भारत के राजनीतिक परिदृश्य में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम (यूएनडीपी) और महिलाओं के सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए काम कर रहे संगठन यू.एन.वूमेन ने अपनी नई रिपोर्ट "द पाट्र्स टू इक्वल 2023" में भारत को महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के मामले में पिछड़े देशों की सूची में शामिल किया है। रिपोर्ट में महिला सशक्तिकरण सूचकांक और वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक से जुड़े आंकड़े साझा किए गए। इन दोनों ही सूचकांक में भारत को पिछड़े देशों की

सूची में रखा गया है साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय समाज की महिलाओं में धीरे-धीरे जागरूकता बढ़ रही है और वे महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है (द पाट्र्स टू इक्वल, 2023)।

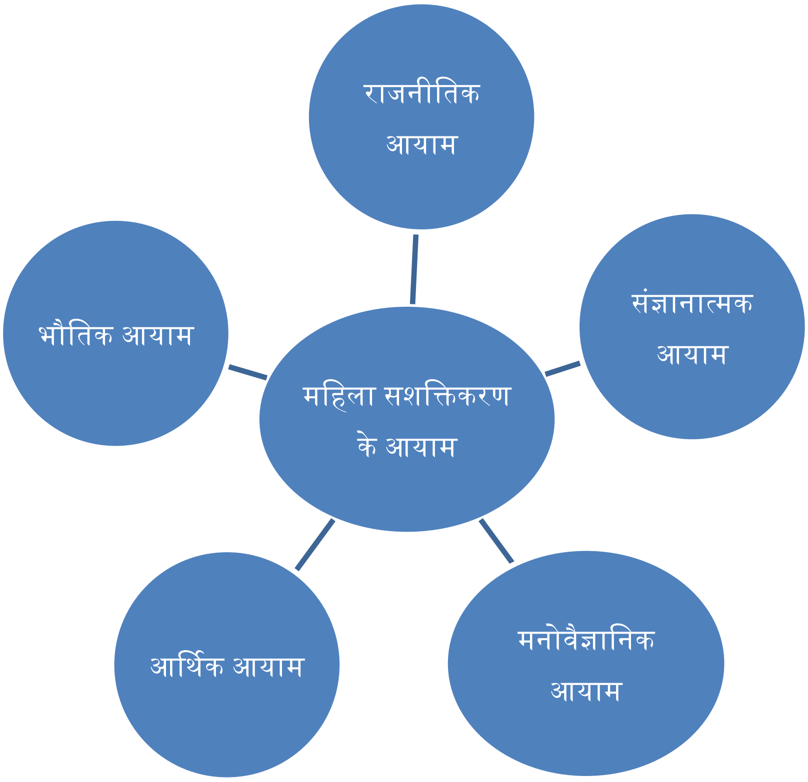

चित्र संख्या 1.3 महिला सशक्तिकरण के आयाम

- **संज्ञानात्मक आयाम-** संज्ञानात्मक आयाम के अंतर्गत महिलाएं सूक्ष्म व स्थूल स्तर पर अपनी अधीनता की स्थिति को समझकर संस्कृति के विरुद्ध जाने की क्षमता रखती हैं।
- **मनोवैज्ञानिक आयाम-** मनोवैज्ञानिक आयाम में महिलाएं व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर विकास में सकारात्मक भूमिका निभाती हैं।
- **आर्थिक आयाम-** आर्थिक आयाम के अंतर्गत उत्पादन के संसाधनों पर महिलाओं का नियंत्रण आता है।
- **राजनीतिक आयाम-** महिलाओं में सामाजिक परिवर्तन के लिए विश्लेषण, आयोजन और संगठित करने की क्षमता राजनीतिक आयाम के अंतर्गत आती है।
- **भौतिक आयाम-** महिलाओं का शरीर और कामुकता पर नियंत्रण पाने और यौन हिंसा के खिलाफ स्वयं की रक्षा करने की क्षमता भौतिक आयाम के अंतर्गत आता है।

(www.unifemm.edu.br)

महिला सशक्तिकरण के संकेतक

राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार महिला सशक्तिकरण के प्रमुख संकेतक निम्नलिखित हैं-

- घरेलू निर्णय लेने की शक्ति
- लिंग दृष्टिकोण एवं विश्वास
- शारीरिक गतिशीलता
- संसाधनों पर नियंत्रण
- पारिवारिक स्वतंत्रता

[National Institute of Health](https://www.nih.gov)

पंचायती राज व्यवस्था तथा महिला सशक्तिकरण

पंचायती राज़ व्यवस्था को सुदृढ़ता और व्यावहारिकता देने के उद्देश्य से 73वें संविधान संशोधन को 1992 में पारित किया गया। जिसमें सभी राज्यों, जिनकी जनसंख्या 20,00,000 से अधिक है, में त्रि-स्तरीय संरचना वाली पंचायती राज़ संस्थानों का प्रावधान किया गया। पंचायती राज के प्रत्येक स्तर पर सभी पदों के लिये महिलाओं का एक तिहाई आरक्षण सुनिश्चित किया गया। इसके द्वारा 33.33% महिलाएं पंच, सरपंच, प्रधान तथा जिला प्रमुख का पद प्राप्त करने की अधिकारिणी बन गयी है। इस अधिनियम के अनुपालन में उत्तर प्रदेश में अब तक छह चुनाव (1995, 2000, 2005, 2010, 2015 तथा 2021) हो चुके हैं। जिनमें लगातार महिला प्रतिनिधियों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। यह सशक्तिकरण के प्रति पंचायती राज़ व्यवस्था की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। पंचायती राज़ व्यवस्था ने महिलाओं को सशक्त करने का प्रारूप तैयार किया है। जो भविष्य में मील का पत्थर साबित होगा। सरकार के इस प्रयास से समाज के पिछड़े तथा कमजोर वर्ग की महिलाओं को भी पंचायतीराज में भागीदारी मिली है और दिन प्रतिदिन महिलाएं आत्मनिर्भर होकर सशक्त होती जा रही हैं।

प्रस्तुत अध्ययन 'पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी एवं सशक्तिकरण' का उद्देश्य 73वें संविधान संशोधन एवं पार्वती संशोधनों के आधार पर गठित पंचायत के द्वारा महिला जनप्रतिनिधियों के संज्ञानात्मक,

मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं भौतिक सशक्तिकरण का अध्ययन करना है।

अवधारणाओं का स्पष्टीकरण

- **पंचायती राज व्यवस्था**

  ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की इकाई को पंचायती राज़ व्यवस्था कहते हैं। पंचायती राज़ व्यवस्था आम ग्रामीण जनता की लोकतंत्र में भागीदारी का एक सशक्त माध्यम है। यह एक त्रि-स्तरीय शासन व्यवस्था है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद काम करती है।

- **महिला सशक्तिकरण**

  महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं को शक्ति सम्पन्न तथा आत्मनिर्भर बनाने से है, जिससे वे अपने आपको निम्न आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में डालने वाले मौजूदा शक्ति संबंधों को बदलकर अपने पक्ष में कर सके तथा सहजता से अपने जीवन यापन की व्यवस्था कर सकें।

सिद्धांतिक रूपरेखा

नारीवादी सिद्धांत

नारीवादी सिद्धांत महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए बराबरी की मांग करता हैं। यद्यपि सभी नारीवादी लिंग समानता की बात करते हैं लेकिन इसके लिए वे विभिन्न तरीके अपनाते हैं, इनमें से प्रमुख हैं-

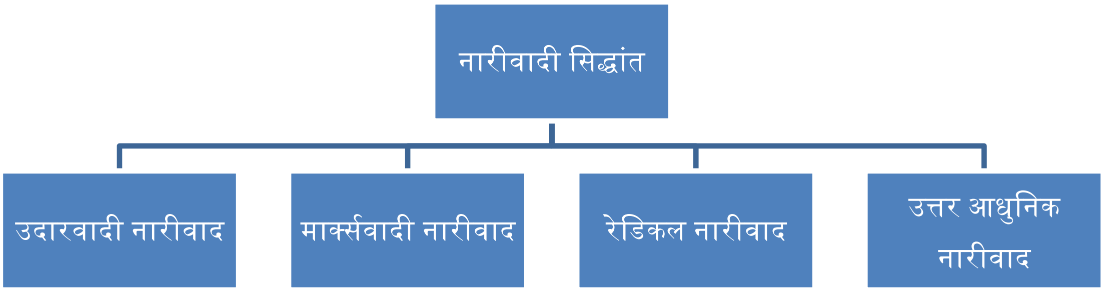

चित्र संख्या 1.4

- **उदारवादी नारीवाद**

  उदारवादी नारीवादियों के अनुसार महिलाओं के व्यक्तित्व में भी पुरुषों के समान उत्साह, आकांक्षा, योग्यता,

तर्कशक्ति, मानसिक क्षमता और निपुणता विद्यमान होती है और इसलिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें भी समान अवसर दिया जाना चाहिए (शर्मा, 2017)।

मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, एलिजाबेथ केडी स्टैंटन, जॉन स्टुअर्ट मिल, हैरिएट टेलर, फ्राइड मैन, रेबेका, वॉकर प्रमुख उदारवादी नारीवादी विचारक रहे हैं।

मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट उदारवादी नारीवाद का समर्थन करने वाली प्रथम दार्शनिक थी। जिन्होंने महिलाओं के लिए जीवन के हर क्षेत्र में समान अधिकारों एवं अवसरों को प्रदान करने की वकालत की।

1781 में जेरेमी बेंथम ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिसलेशन में स्त्रियों को शक्तिहीन एवं कमजोर मानकर उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने की कई राष्ट्रों की मंशा की आलोचना की (बेंथम, 1789)।

- **मार्क्सवादी नारीवाद**

मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित नारीवादी महिलाओं को स्वतंत्र करने के लिए एक रास्ते के रूप में पूंजीवाद की समाप्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करते है। मार्क्सवाद के अनुसार निजी संपत्ति, आर्थिक असमानता, निर्भरता और राजनीतिक भ्रम ही पुरुषों और महिलाओं के बीच अस्वस्थ सामाजिक संबंधों को जन्म देते हैं। मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपतियों को शोषण करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है (परमार, 2017)।

मार्क्सवादी नारीवादी विचारधारा में शादी के बाद महिलाओं की स्थिति की तुलना श्रमिकों की स्थिति से की है। उनका मानना है कि महिलाएं अपने घरेलू कामों और प्रजनन कार्यों से अपने अस्तित्व को भूल जाती हैं तो दूसरी ओर श्रमिक अपने उत्पादन कार्यों में संलग्न रहने के कारण अपनी श्रम शक्ति से अपने सहकर्मियों से अलगाव की स्थिति में आ जाते हैं (साहनी, 2022)।

- **रेडिकल नारीवाद**

रेडिकल नारीवाद का उद्देश्य लिंगों के बीच व्याप्त सभी विवादों को प्रकाश में लाना है, जो हमारे इतिहास से हमारी निजी जिंदगी, संस्कारों, परंपराओं, व्यक्तिगत संबंधों, मानसिकता एवं रोजगार के सार्वजनिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। रेडिकल नारीवादी महिलाएं अपने शरीर पर अपना नियंत्रण एवं पुरुषों से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहती हैं। वे अपने घरेलू, निजी, व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक मामलों में पुरुषों से अलग स्वतंत्र अस्तित्व की मांग उठाती है। यह सिद्धांत समलैंगिकता को बढ़ावा देता है (परमार, 2017)।

केट मिलेट ने अपनी पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1970 में कहा कि “लिंग मुख्यतः राजनीतिक है क्योंकि निजी एवं सार्वजनिक जीवन में पुरुष का नियंत्रण ही पितृसत्ता का निर्माण करता है। पितृसत्ता एक ऐसी संस्था है, जिसमें आधी आबादी जो स्त्रियों की है वह शेष पुरुषों की आधी जनसंख्या द्वारा नियंत्रित होती है” (मिलेट,1970)।

- **उत्तर आधुनिक नारीवाद**

उत्तर आधुनिक नारीवाद की शुरुआत 1980 से मानी जाती है। उत्तर आधुनिक नारीवाद से वर्ग, धर्म, कामुकता, पहनावा, लिंग समलैंगिकता आदि मुद्दों को लेकर महिलाओं की अधीनता और अन्य मुद्दों से निपटने की दिशा में कोई भी दृष्टिकोण उत्पन्न कर लेना और कोई भी एक कारण न होने का निष्कर्ष निकलता है (सिंह और सिंह, 2012)।

उत्तर आधुनिक नारीवादियों का मानना है, कि लिंग का निर्धारण जीव विज्ञान से नहीं बल्कि संस्कृति और समाज से होता है। उनका तर्क है कि महिलाओं पर इसलिए अत्याचार नहीं किया गया है क्योंकि वह जैविक रूप से पुरुषों से कमजोर है बल्कि इसलिए कि उन्हें समाज और राजनीतिक रूप से कमजोर समझा गया है। उत्तर आधुनिक नारीवादियों का मानना है कि, नारीवाद की आधुनिक अवधारणा महिला और पुरुषों के बीच लिंग अंतर पर जोर देती है, उदाहरण के लिए सभी महिलाएं पितृ सत्ता द्वारा उत्पीड़ित हो सकती है लेकिन सभी

महिलाएं उस उत्पीड़न को एक ही तरह से अनुभव नहीं करती हैं। उदाहरण के लिए श्वेत मध्यम वर्ग की महिलाओं को रंगीन महिलाओं या कामकाजी वर्ग की महिलाओं की तुलना में अधिक विशेषाधिकार प्राप्त हो सकते हैं। इसी तरह समलैंगिकों को विषम लैंगिक महिलाओं की तुलना में विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न का अनुभव हो सकता है (साहनी 2022)।

संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन

बाबेल (2001) ने अपनी पुस्तक में विश्लेषणात्मक पद्धति से पंचायती राज व्यवस्था में निम्न वर्ग की स्थिति प्रमुखता से विश्लेषण किया है। अध्ययन में पाया गया कि हमारे देश का एक वर्ग जिसे हम अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं का वर्ग कह सकते हैं। वह सत्ता से दूर है, यद्यपि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सत्ता का विकेंद्रीकरण रहता है लेकिन इस विकेंद्रीकरण में समाज के कमजोर वर्ग की भागीदारी को अभी तक आवश्यक नहीं माना जा रहा है। कालांतर में यह महसूस किया गया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों तथा महिलाओं की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए यहां पर पंचायती राज की स्थापना की गई। आरंभ में पंचायती राज अत्यंत क्रियाशील रहा, लेकिन धीरे-धीरे यह शिथिल होता चला गया। पंचायती राज की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया। इस संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। महिलाओं एवं अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों और पिछड़े वर्ग के लिए सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की गई। इसका उद्देश्य समाज के इस वर्ग को स्वभावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना रहा है।

सूर्यवंशी एवं लेकाम (2014) ने अपने शोध में प्राथमिक तथ्यों के संकलन में साक्षात्कार अनुसूची एवं प्रश्नावली तथा द्वितीयक तथ्यों के संकलन के लिए संदर्भ ग्रंथ सूची एवं संबंधित साहित्य का अध्ययन किया है। शोध का प्रमुख उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था का विश्लेषण करना है। अध्ययन में पाया गया कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, जो केंद्रीय एवं राज्य सरकारों को स्थानीय समस्याओं के भार से हल्का करती है। पंचायती राज का प्रमुख उद्देश्य शासन की शक्तियों को विकेंद्रीकृत कर शासन की सत्ता स्थानीय नागरिकों के हाथों में पहुंचाना है। यह नागरिकों को

अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग की शिक्षा देती है, किंतु अशिक्षा,निर्धनता, दलगत राजनीति एवं जागरूकता में कमी के कारण गांव का प्रत्येक व्यक्ति इस व्यवस्था का लाभ नहीं उठा पाता। अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि, किसी भी देश प्रदेश या गांव में पंचायती राज व्यवस्था तभी सफल हो सकती है, उसकेक्रियाकलापों को दलगत राजनीति से दूर रखा जाए। पंचायतों के चुनावों में मतदान को अनिवार्य किया जाना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों को भी पंचायतों के मित्र, सहयोगी और पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिए।

सिंघल (2014) ने अपने अध्ययन में विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक एवं नवीन व्यवहारिक पद्धतियों को अपनाते हुए महिलाओं के अधिकारों एवं सशक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास एवं महिलाओं की अधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण और महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए दिन प्रतिदिन नए-नए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, फिर भी उनकी स्थिति में अधिक सुधार नहीं हो पा रहा है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं को अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। प्राथमिक तौर पर उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए। महिलाओं को अनौपचारिक एवं औपचारिक दोनों क्षेत्रों में उनका हिस्सा मिलना चाहिए। उन्हें कानून और धर्म के अधीन महिलाओं के अधिकारों की जानकारी दी जानी चाहिए तथा सरकार के हर स्तर पर महिलाओं को उचित स्थान मिलना चाहिए।

आर्य (2015) ने अपने शोध पत्र में ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया तथा अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया। अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य भारतीय राजनीति में महिलाओं की स्थिति भागीदारी तथा प्रभावों का वर्णन करना था। स्वतंत्रता के तुरंत बाद देश के संविधान में महिलाओं को न केवल पुरुषों के रूप में वोट देने के लिए समान अधिकार दिए गए, बल्कि पंचायत से संसद तक जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनाव लड़ने के अवसर दिए गए। पंचायत में महिलाओं को कम से कम एक तिहाई सदस्यता मिलने के साथ राजनीति में महिला भागीदारी का संख्यात्मक प्रतिनिधित्व बढ़ा है। 1980 से 2014 के बीच महिला मतदाताओं की संख्या में 15% की वृद्धि हुई है। 1990 से महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ने लगी और 2014 के लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक महिला मतदाता हुई। भारत की संसदीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सीमित रही है।

अध्ययन में यह भी पाया गया कि सरकार और समाज में एक बड़ी सीमा तक महिलाओं की राजनीति में समान भागीदारी की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण ने राजनीति को नई ऊंचाई प्रदान की है।

आनंद (2016) द्वितीयक स्त्रोतों का उपयोग करते हुए महिलाओं को सशक्त करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक सुरक्षा प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का विश्लेषण किया। अध्ययन में पाया गया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर बेहतर बुनियादी सुविधाओं दवाओं और उपकरणों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में मानव संसाधन की उपलब्धता के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सुधार किया है। उत्तम शिक्षा एवं दक्षता प्रदान करने के लिए सरकार ने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम लागू किए। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी योजनाओं का संचालन किया गया। अध्ययन में यह भी पाया गया कि महिलाओं के सशक्तिकरण करने के लिए आवश्यकता इस बात की है, कि महिलाओं को यह एहसास दिलाना होगा कि उनका शोषण हो रहा है और वह आज भी मानसिक रूप से गुलाम है और उन्हें ही अपने सशक्तिकरण के लिए खुद संघर्ष करना है और मुख्यधारा में शामिल होना है, साथ ही अध्ययन में यह भी सुझाव दिया गया कि, किसी भी परिवर्तन को होने में समय लगता है, लेकिन परिवर्तन की शुरुआत पहले अपने घर से करनी होगी तभी समाज में परिवर्तन होगा। महिलाएं हमारे देश में जनसंख्या के आधे भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं। यदि उनकी प्रगति धीमी होगी तो समाज भी धीमा विकास करेगा।

शर्मा (2017) ने अपने वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक शोध में आवश्यकतानुसार विशुद्ध रूप से द्वितीयक स्त्रोतों का उपयोग कर अध्ययन किया। शोध का प्रमुख उद्देश्य महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता, भारत में महिला सशक्तिकरण की जागरूकता तथा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करना था। अध्ययन में पाया गया कि महिला सशक्तिकरण न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी

21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक बन गया है। समाज को समाज के उत्थान और समग्र रूप से समाज की भलाई के लिए महिलाओं एवं पुरुषों को समान अवसर प्रदान करना चाहिए। सशक्तिकरण का सबसे अच्छा तरीका महिलाओं को विकास की मुख्यधारा में शामिल करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अकेली सरकार की पहल पर्याप्त नहीं होगी क्योंकि सशक्तिकरण तभी वास्तविक और प्रभावी होगा, जब वे आय और संपत्ति से संपन्न होंगे, जिससे वे अपने पैरों पर खड़ी हो सके और समाज में अपनी पहचान बना सके। समाज को एक ऐसा माहौल बनाने की पहल करनी चाहिए, जिससे समाज में लैंगिक समानता की भावना का विकास हो, जिससे महिलाओं को भी देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में निर्णय लेने और भाग लेने का पूरा अवसर प्राप्त हो।

देव (2018) ने अपने शोध में ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक व वर्णनात्मक शोध विधि का प्रयोग करते हुए पंचायती राज में महिलाओं की स्थिति, वास्तविक लोकतंत्र, पंचायत में आरक्षण, सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा पंचायत को संवैधानिक दर्जा जैसे विषयों पर अपना अध्ययन केंद्रित किया है। अध्ययन में पाया गया कि पंचायती राज व्यवस्था में आगे आने वाला क्रम प्रतिस्पर्धापूर्ण होगा। नेतृत्व के लिए अधिक योग्य एवं व्यवस्था को समझने वाले व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में आएंगे। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत गांव के विकास की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों पर आ गई है। फलस्वरुप आम जनों की सहभागिता का स्तर बढ़ गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को भी पंचायत में प्रतिनिधित्व, स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा,अवसर की समानता की अवधारणाओं को मूर्त रूप देने में सहायक होगा। ग्रामीण स्तर पर महिलाओं का एक ऐसा नेतृत्व उभर रहा है। जिससे इस आशा का संचार होता है कि अनुसूचित जाति, महिला नेतृत्व की पंचायतों में प्रथम औपचारिक भागीदारी आने वाले समय में ज्यादा सजग और जागरूक नेतृत्व देने में सक्षम होगी। साथ ही अध्ययन में यह भी पाया गया कि संचार माध्यमों के प्रति जागरूकता की कमी शिक्षा एवं कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थिति नागरिकों को पंचायत का लाभ उठाने के मार्ग में बाधा बनती है।

कुमारी (2018) ने अपने अध्ययन में द्वितीयक स्त्रोतों जैसे पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं आदि का उपयोग करते हुए

पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने के लिए किए गए सरकारी प्रयासों का अवलोकन और संबंधित कार्यक्रमों का विश्लेषण किया। शोध में पाया गया कि महिलाओं के सशक्तिकरण में पंचायत की भूमिका तीन रूपों में हो सकती है। प्रथम लक्षित वर्ग के रूप में, दूसरा वंचित वर्ग के रूप में, तीसरा मानवीय वर्ग के रूप में। एक लक्षित वर्ग के रूप में महिलाओं के लिए पंचायत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में एवं अपनी योजनाओं में उन्हें प्राथमिकता देकर उनके सशक्तिकरण में सहायक हो सकती है। वंचित वर्ग के रूप में महिलाओं के लिए पंचायत निम्न पहल कर सकती है जैसे शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की देखरेख, जीविकोपार्जन के समान अवसर, स्वयं सहायता समूह निर्माण एवं सशक्तिकरण आदि एवं मानवीय समूह के रूप में महिलाओं को सशक्त करने के लिए पंचायत, समान, प्रतिष्ठा, समान व्यवहार, समान अवसर तथा समान ध्यान देकर उन्हें व्यवहार में बराबरी का दर्जा दिला सकती है।

हर्षवीर (2018) ने अपने शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों का प्रयोग करते हुए पंचायती राज व्यवस्था के महत्व पर अपना अध्ययन केंद्रित किया। अध्ययन में पाया गया कि पंचायती राज से ग्रामीण जनता की लोकतांत्रिक आस्था सुदृढ़ हुई है और वे आत्मनिर्भर तथा आत्म चिंतन शीलता की तरफ अग्रसर हुए हैं, इसने नौकरशाही और आम लोगों में अंतर को कम किया है, इसने जिस नए नेतृत्व को जन्म दिया है वह पहले की तुलना में अधिक ऊर्जावान और सक्रिय है। 73वें संविधान संशोधन के बाद नए पंचायती राज अधिनियम में कई सुधार हुए, जिनमें 5 वर्ष के बाद निश्चित एवं नियमित चुनाव करवाने तथा मतदाता सूचियां बनवाने के लिए स्वतंत्र चुनाव आयोग तथा सबसे महत्वपूर्ण सुधार अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुरूप सीटों का आरक्षण तथा कुल सीटों पर एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना। इस अधिनियम को पंचायती राज व्यवस्था का मैग्नाकार्टा माना जाता है। जो ग्रामीण स्तर पर नेतृत्व का एक नया रूप पेश करता है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था में कुछ कमियां भी उजागर हुई है। अतः इस दिशा में सरकार की तरफ से ठोस कदम उठाए जाने की अपेक्षा भी की जाती है।

सिंह (2018) ने अपने शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता प्रभावित करने वाले कारक तथा महिला सशक्तिकरण हेतु चलाई गई योजनाओं का अध्ययन किया गया। महिला सशक्तिकरण वर्तमान समय का सबसे चर्चित विकासात्मक कार्य है, न केवल समाज में व्याप्त कुरीतियों का अंत हो रहा है अपितु महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक विकास तीव्र गति से हो रहा है। महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु केंद्र व राज्य सरकारों ने विभिन्न विकास योजनाएं चलाई हैं। इसी के साथ उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कानूनों का निर्माण किया है। महिला सशक्तिकरण वास्तव में महिलाओं की योग्यता को निकालकर उन्हें एक उपयोगी संसाधन के रूप में विकसित करता है। शोध में यह भी पाया गया कि, महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से विकसित होने में साक्षरता, बेरोजगारी, गरीबी, उच्च मातृत्व मृत्यु दर, लैंगिक असमानता, महिलाओं के प्रति अपराध, जन जागरूकता का अभाव, घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी, जोखिमों का काम उठाना निर्णय लेने की क्षमता का अभाव इत्यादि ऐसे कारक हैं, जो महिला सशक्तिकरण में बाधक बने हुए हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए महिलाओं को मानसिक रूप से मजबूत बनाना आवश्यकता है। विकसित कानूनों को अमल में लाने व विकास कार्य में भाषाओं की भागीदारी को वरीयता देने की आवश्यकता है।

मधु (2019) ने अपने शोध में द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से भारत में 73वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया। 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पूरे देश में लागू कर दिया गया। यह अधिनियम ग्राम सभा व पंचायतों को न केवल आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने में सहायता करता है, अपितु इन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के पारंपरिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार भी प्रदान करता है। पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों पर सभी वर्ग की महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि

73वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाज में महिला दलित एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को समानता का अधिकार दिलाने का प्रयास किया गया है, जिसके द्वारा समाज में समानता का स्तर बना रहे।

कुमार (2019) ने अपने शोध में विश्लेषणात्मक पद्धति का उपयोग किया है। अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की भूमिका का विश्लेषण करना है। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं की सहभागिता न केवल उनकी राजनीतिक सहभागिता को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सुनिश्चित करने की है, बल्कि उनके विकास संबंधी उद्देश्यों को कार्यान्वित करने की भी है। महिलाएं पंचायती राज संस्थानों में निम्न रूप से सहभागी हो सकती हैं- महिला मतदाता के रूप में, राजनीतिक दलों के सदस्य के रूप में, प्रत्याशियों के रूप में, महिला पंचायती राज संस्थानों में निर्वाचित सदस्यों के रूप में तथा महिला मंडली के सदस्यों तथा सेवी संस्थानों के साथ साझेदारी के रूप में। अध्ययन में यह भी पाया गया कि, पंचायती राज की नई व्यवस्था के बाद देश के पारंपरिक पुरुष प्रधान निर्णय लेने वाले समाज में अब निर्णय की प्रक्रिया में महिलाओं का भी समावेश होने लगा है। आरक्षण की नई 50% की व्यवस्था ने उन्हें और प्रेरित किया है।

महिपाल (2019) ने अपनी पुस्तक में भारत में पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास के साथ-साथ वर्तमान समय में पंचायतों के समक्ष जो अनेक कार्यात्मक वित्तीय प्रशासनिक और सामाजिक चुनौतियां हैं, उनका अध्ययन किया गया है। साथ ही पंचायतों को स्वायत्त संस्था बनाने का सपना पूरा होने की संभावना है, इस पर भी विचार किया गया है। पुस्तक में पाया गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पंचायतें हमारे संविधान का अंग तो बनी लेकिन ग्रामीण विकास के मामले में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाई। बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता 1998 समितियों ने पंचायतों को अधिकार संपन्न किए जाने की सिफारिश की परंतु स्थिति में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं आया। अंततः एल.एम सिंघवी 1986 के नेतृत्व में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1992 में 73वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से पंचायतों को संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल कर संवैधानिक दर्जा दिया

गया। महिलाओं तथा ग्रामीणों को भी पंचायत में आरक्षण के माध्यम से शामिल किया गया है।

प्रसाद एवं सोनी (2019) ने अपने अध्ययन में उद्देश्यपूर्ण निर्देशन पद्धति का चयन करते हुए महिलाओं के जीवन की स्थिति, समस्याओं तथा पंचायती राज व्यवस्था में उनकी सहभागिता एवं वास्तविक स्थिति का विश्लेषण किया। देश की राजनीति में महिलाओं की भूमिका पंचायती राज व्यवस्था के आरंभ में अशिक्षा और पर्दा प्रथा के कारण कम थी, लेकिन जैसे-जैसे सामाजिक कुरीतियां समाप्त हो रही हैं, महिलाओं की भूमिका राजनीति में मजबूत होती जा रही है। शोध में निष्कर्ष रूप में पाया गया कि जैसे जैसे शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में राजनीति के प्रति जागरूकता आ रही है। शिक्षा के प्रचार प्रसार और बदलते सामाजिक परिवेश में महिलाएं आगे आ रही हैं और केंद्रीय, प्रांतीय व स्थानीय शासन में अपनी भागीदारी निभा रही हैं, इसलिए महिलाओं को सशक्त और सुदृढ़ बनाने से ही समाज सुदृढ़ होगा। महिलाओं को सुदृढ़ करने के लिए उनका शिक्षित होना भी आवश्यक है, जिससे वे अपने अधिकारों को समझकर समाज एवं राष्ट्र का विकास कर सके।

कौर (2020) ने अपने शोध में द्वितीयक स्त्रोतों का प्रयोग करते हुए महिला सशक्तिकरण हेतु क्रियान्वित किए गए कानूनी प्रावधानों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि, संविधान के अंतर्गत सभी स्त्री-पुरुष को बराबरी का स्वतंत्रता का, शोषण से बचाव, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा व संस्कृति आदि सभी अधिकार समान रूप से प्रदान किए गए हैं ताकि, उन्हें समानता के अधिकार से कोई भी वंचित न कर सके। ग्राम पंचायतों और शहर निकायों के सभी स्तरों पर महिलाओं को एक तिहाई पद आरक्षित करने के लिए 73 वें और 74 वें संविधान संशोधन किए गए। जिनके परिणाम स्वरूप देश की त्रिस्तरीय पंचायतों में 80,00000 महिलाओं को जनप्रतिनिधि के रूप में राजनीति और विकास में भागीदारी के अवसर प्राप्त हुए। अध्ययन में पाया गया कि, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नित नए कानून तो बनाए जा रहे हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन बहुत कम होता है। महिलाओं को इतना सशक्त

किया जाए कि, वह अपने अधिकारों का प्रयोग स्वयं कर सके, निर्भीकता से अपना दावा पेश कर सके क्योंकि कोई भी स्वस्थ और लोकतांत्रिक समाज महिलाओं को सशक्त किए बिना विकास की कल्पना नहीं कर सकता है।

आलम (2021) ने अपने शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग करते हुए महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका एवं महिला शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं का अध्ययन करने का प्रयास किया है। शिक्षा महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। बिना शिक्षा के किसी को भी सशक्त नहीं बनाया जा सकता है। महिला शिक्षा में समाज की भूमिका महत्वपूर्ण है। यदि समाज महिलाओं की शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और सहयोग की भावना रखता है तो, शिक्षित महिलाओं की संख्या में वृद्धि होगी। ऐसी महिलाओं में आत्मविश्वास, आत्म जागृति एवं अपने अधिकारों तथा सरकार के बारे दिए जाने वाले अवसरों की जानकारी हो सकेगी। जिससे वे अपने कौशल का विकास कर सकेंगे एवं स्वभावलंबी बनकर अपने महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं ले कर, एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में सहयोग कर सकेंगी। शोध में निष्कर्ष रूप में पाया गया कि, महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकारते हुए, बिहार सरकार ने कन्या शिक्षा को प्रमुखता दी है। बिहार सरकार यह प्रयास कर रही है कि, आधी आबादी को शिक्षा के द्वारा इतना सशक्त बनाया जाए कि, वह न केवल स्वयं अपितु समाज को भी एक नई दिशा व दशा प्रदान कर सकें।

कुशवाह (2021) ने अपने शोध में उद्देश्यपूर्ण निर्देशन विधि का प्रयोग करते हुए 73वें संविधान संशोधन के परिपेक्ष में पंचायती राज व्यवस्था में हुए सुधारों के फलस्वरूप ग्रामीण शक्ति, संरचना में आए परिवर्तन की प्रकृति का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण शक्ति संरचना में परिवर्तन तो हुआ है और इस परिवर्तन के फल स्वरुप अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के नए नेतृत्व का उदय हुआ है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से प्रभावशाली जातियां इसे स्वीकार करने में हिचक रही हैं। नवीन पंचायती राज व्यवस्था के फलस्वरूप महिलाओं के राजनीतिक नेतृत्व में सकारात्मक परिवर्तन आया है। नवीन पंचायती राज

व्यवस्था से ग्रामीण आर्थिक संरचना पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। आर्थिक रूप से संपन्न अभी भी एक शक्ति के रूप में जाने जाते है अतः कहा जा सकता है कि स्थानीय स्वशासन के अंग पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण शक्ति संरचना को निश्चित रूप से परिवर्तित किया गया है परंतु यह परिवर्तन मुख्य रूप से राजनीतिक संरचना में ही हुआ है, सामाजिक एवं आर्थिक संरचना में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है।

शर्मा एवं बहुगुणा (2023) ने अपने वर्णनात्मक शोध में साक्षात्कार अनुसूची एवं अवलोकन के माध्यम से प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया तथा द्वितीयक तथ्यों हेतु शासकीय प्रतिवेदन, इंटरनेट शोध पत्र, शोध ग्रंथ आदि का प्रयोग करते हुए आत्मनिर्भर महिलाओं के परिवारों में लैंगिक असमानता के स्तर का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। अध्ययन में पाया गया कि भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है इसी कारण यहां महिलाओं का स्थान गौड़ है। पुरुष एवं महिलाओं के विभिन्न कार्य क्षेत्र निर्धारित हैं। जिसमें पुरुष स्वतंत्रता प्रतिष्ठा तथा आर्थिक साधनों पर प्रभुत्व के अधिकारी तथा वही महिलाएं गृह कार्य करती हैं एवं आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर रहती हैं। अध्ययन में निष्कर्ष रूप में पाया गया कि महिलाओं के आर्थिक रूप से सक्षम होने से उनका स्थान परिवार में मजबूत बना है। उनके सशक्त होने से उनके परिवार में एक नए समाजीकरण का निर्माण हो रहा है। जिसमें लिंगभेद कहीं भी नहीं है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास एक नए समाज का निर्माण कर रहे हैं। इसका प्रभाव भविष्य में होने वाली जनगणना पर अवश्य दिखाई देगा।

उपासना एवं डंगवाल (2023) ने अपने शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्य स्रोतों का प्रयोग करते हुए विश्लेषण के लिए वर्णनात्मक शोध पद्धति का उपयोग किया है।अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में लैंगिक विषमता तथा लैंगिक विषमता के कारणों का पता लगाना है। अध्ययन में पाया गया कि महिलाएं समाज का स्तंभ होती हैं। उनका विकास करना समाज के लिए अति आवश्यक है। समाज में महिलाएं अपनी बहुल भूमिकाओं का निर्वहन बड़ी ईमानदारी से करती हैं, फिर भी उनकी समाज में सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा

जाता। अध्ययन में यह भी पाया गया कि महिलाएं स्वयं को शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर नहीं मानती फिर भी, विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी काफी कम है राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देने का अधिकार भी नहीं होता, न विभिन्न पदों पर आसीन होने के बावजूद निर्णय लेने की उनको स्वतंत्रता है। महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के पीछे सबसे बड़ा कारण महिलाओं का अशिक्षित होना है। अध्ययन में यह भी सुझाव दिया गया है कि, महिलाएं शिक्षित होंगी तो वह अपने साथ होने वाली विषमता के विरुद्ध आवाज उठा सकती हैं।

सक्सेना एवं कश्यप (2023) ने अपने अध्ययन में प्राथमिक तथ्यों के स्रोतों का उपयोग करते हुए संभावना मूलक प्रतिचयन के अंतर्गत स्तरीयकृत निदर्शन प्रणाली का प्रयोग किया गया है। अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य छत्तीसगढ़ की पंचायतों में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता जागरूकता एवं आरक्षण से महिलाओं के जीवन में आए परिवर्तन का अध्ययन करना था। अध्ययन में पाया गया कि पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण प्रशासन में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता बड़ी है और महिला सशक्तिकरण हो रहा है। छत्तीसगढ़ में 2008 से महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप 2019 में पंचायती राज मंत्रालय के प्रतिवेदन में पंचायतों में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व 58.78% पाया गया जो पंचायतों में महिला प्रतिनिधित्व की राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाता है। जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। अध्ययन में निष्कर्ष रूप में यह भी पाया गया कि, पंचायती राज में महिलाओं की सहभागिता होने से महिलाओं का सभी स्तंभों पर निर्णय लेने तथा क्रियान्वयन में सक्रिय सहभागिता से समता एवं न्याय पूर्ण विकास की प्राप्ति हुई है। उनमें अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने की हिम्मत बढ़ी है। इनके व्यक्तित्व में परिवर्तन आया है तथा रचनात्मक कार्यों में उनकी भागीदारी बढ़ी है। आने वाले समय में महिलाओं की स्थिति में बेहतर परिणाम तभी प्राप्त होंगे जब दृढ़ प्रतिज्ञ महिला

स्वयं अपने आप को सशक्त बनाने का प्रयास करेगी और इससे उन्हें समाज के प्रबुद्ध वर्ग का प्रोत्साहन मिलेगा।

शोध अंतराल

प्रस्तुत शोध का विषय पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी एवं सशक्तिकरण का अध्ययन उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद की ग्राम पंचायत के विशेष संदर्भ में है। विषय से संबंधित अब तक अनेक शोध हो चुके हैं, जो अलग-अलग क्षेत्रों से संबंधित है किंतु अब तक आगरा जनपद के विशेष संदर्भ में इस प्रकार के विषय पर कोई भी शोध नहीं हुआ है, जो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी एवं सशक्तिकरण पर केंद्रित हो। अतः प्रस्तावित अध्ययन का क्षेत्र आगरा जनपद का चुनाव करने का निश्चय किया गया है। पूर्वगामी शोधों में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक स्थिति, महिला विकास, महिला उद्यमिता, पंचायत में महिला भागीदारी एवं सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयासों का अध्ययन किया गया है, किंतु पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी एवं सशक्तिकरण तथा उनके सम्मुख आने वाली समस्याओं एवं उनकी सहभागिता की वास्तविक स्थिति पर अब तक कोई अध्ययन नहीं हुआ है। अतः प्रस्तुत अध्ययन में महिलाओं के सशक्तिकरण में उत्पन्न समस्याओं, पंचायती राज व्यवस्था में उनकी सहभागिता एवं सरकार द्वारा किए जा रहे शासकीय प्रयासों के फलस्वरुप पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करने का निश्चय किया गया है।

समस्या कथन

भारत विश्व का सबसे बड़ा एवं परिपक्व लोकतांत्रिक गणराज्य है। परंपरागत रूप से भारतीय समाज के तीन प्रमुख आधार स्तंभ माने जाते हैं- संयुक्त परिवार व्यवस्था, जाति व्यवस्था और ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत भारतीय समाज की अत्याधिक प्राचीन परंपरा है। पुराणों में भी पंचायत शब्द का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में ग्राम पंचायत या संपूर्ण रूप से पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण विकास की प्रमुख अभिकरण है। ग्रामीण विकास इन्हीं पंचायतों के माध्यम से जनभागीदारी द्वारा साकार किया जा रहा है। किसी भी राष्ट्र की खुशहाली के लिए वहां की महिलाओं का

उल्लेखनीय योगदान होता है। महिलाओं की कार्य क्षमता किसी भी पहलू में पुरुषों से कम नहीं होती परंतु भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के महत्व को पूर्णतया नजरअंदाज किया जाता है। भारतीय ग्रामीण व्यवस्था में महिलाओं एवं पुरुषों के बीच भेदभावपूर्ण स्थिति को देखते हुए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था में 73वां संविधान संशोधन 1992 किया गया। जिसके द्वारा महिलाओं को स्थानीय स्वशासन में एक-तिहाई पदों पर आरक्षण प्राप्त हुआ। कुछ राज्यों में महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया गया। इसी क्रम में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी महिला सशक्तिकरण के लिए हो रहे प्रयासों का प्रमुख घटक है, परंतु भारतीय पितृ सत्तात्मक समाज, अशिक्षा एवं परंपरागत रूढ़िवादी सोच के कारण ग्रामीण महिलाएं सशक्तिकरण का लाभ नहीं उठा पा रही हैं। उनका उपयोग केवल आरक्षित सीट प्राप्त करने और शासकीय कार्यों में हस्ताक्षर की एक कठपुतली के रूप में किया जाता है। पंचायत की महिला प्रतिनिधि घर के कार्यों को प्राथमिकता देती हैं, शासन संबंधी कार्य बाद में या उनके घर के पुरुष वर्ग द्वारा संपादित किए जाते हैं। अतः पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में महिला प्रतिभागियों की सभी समस्याओं का समाधान होना अत्यंत आवश्यक है। इसी विषय को अपना प्रमुख उद्देश्य मानते हुए शोधकर्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन का विषय 'पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी एवं सशक्तिकरण' का अध्ययन किया जाएगा। जिसमें यह अध्ययन किया जाएगा कि भारतीय महिलाएं किस रूप में राजनीतिक क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रही हैं और किस तरह सशक्त होकर महिलाओं के उत्थान तथा राष्ट्र के विकास कार्य में अपना योगदान दे रही है।

अध्ययन का महत्व

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी एवं सशक्तिकरण का अध्ययन वर्तमान परिस्थितियों में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था के तहत महिलाएं न केवल अपने नेतृत्व, गुण व नारीवादी सोच के माध्यम से परंपरागत राजनीतिक ढांचे में बदलाव ला सकती हैं बल्कि राजनीतिक प्रतिभागिता व महिला

सशक्तिकरण का मार्ग भी प्रशस्त्र कर सकती हैं। देश के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विकास के लिए महिला सशक्तिकरण अति आवश्यक है। महिलाओं का सशक्तिकरण जीवन के सभी क्षेत्रों में पारदर्शी शासन व्यवस्था, सतत् विकास, राजनीतिक समानता और उत्तरदाई सरकार के लिए भी आवश्यक है। क्योंकि आधी आबादी को हम पिछड़ा हुआ नहीं छोड़ सकते। भारतीय पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा ग्राम पंचायत न केवल ग्रामीण विकास में बल्कि महिला विकास एवं महिला सशक्तिकरण में भी प्रमुख भूमिका निभा रही है। भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का वर्तमान स्वरूप महिलाओं की भागीदारी को सुगम बनाकर उनके सशक्तिकरण का मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण में पंचायती राज व्यवस्था विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों तथा विभिन्न अवसरों के माध्यम से महिलाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस आधार पर यह कहना उचित होगा कि, भारतीय समाज में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी एवं सशक्तिकरण के द्वारा एक ऐसा चित्र प्रस्तुत हो सकेगा जो संपूर्ण समाज के लिए भविष्य में न केवल एक उदाहरण मात्र होगा बल्कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी एवं प्रगति तथा उनके सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे शासकीय कार्यों का भी अवलोकन करेगा। प्रस्तुत शोध न केवल समाज एवं महिलाओं के लिए ही महत्वपूर्ण है बल्कि इस विषय पर भविष्य में शोध अध्ययन करने वाले शोधार्थियों एवं राजनीतिक विज्ञान के छात्र-छात्राओं के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा साथ ही साथ यह अध्ययन भारतीय नीति निर्माताओं के लिए भी सहायक सिद्ध हो सकेगा।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था में महिला भागीदारी एवं सशक्तिकरण का अध्ययन करना है, अध्ययन के अन्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

1. पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिला जनप्रतिनिधियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना
2. पंचायती राज व्यवस्था एवं विकास कार्यक्रमों में महिला भागीदारी का अध्ययन करना।
3. पंचायती राज व्यवस्था में महिला भागीदारी एवं सशक्तिकरण का अध्ययन करना।

4. पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिला जनप्रतिनिधियों के सम्मुख आने वाली चुनौतियों का अध्ययन करना।
5. पंचायती राज व्यवस्था द्वारा महिला भागीदारी एवं सशक्तिकरण के शासकीय प्रयासों का अध्ययन करना।

परिकल्पना

1. पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिला जनप्रतिनिधियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं।
2. पंचायती राज व्यवस्था एवं विकास कार्यक्रमों में महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी एक तिहाई से अधिक है।
3. पंचायती राज व्यवस्था में महिला भागीदारी एवं महिला सशक्तिकरण औपचारिक मात्र है।
4. पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिला जनप्रतिनिधियों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें प्रमुख है- समाज की रूढ़िवादी सोच, पितृ सत्तात्मक समाज तथा प्रशिक्षण का अभाव आदि।
5. भारत सरकार द्वारा समय-समय पर पंचायती राज व्यवस्था में महिला भागीदारी एवं सशक्तिकरण के लिए अनेक शासकीय नीतियां एवं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

शोध पद्धति/ शोध प्ररचना

प्रस्तुत शोध पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी एवं सशक्तिकरण का अध्ययन वर्णनात्मक एवं व्याख्यात्मक शोध प्ररचना पर आधारित होगा। जिसमें न केवल तथ्यों को संकलित कर उनका वर्णन किया जाएगा, बल्कि संकलित तथ्यों के माध्यम से कार्य कारण संबंधों के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था में महिला भागीदारी एवं सशक्तिकरण की व्याख्या भी की जाएगी।

- **अध्ययन क्षेत्र**

  प्रस्तावित अध्ययन क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य का आगरा जनपद है। आगरा नगर उत्तर पश्चिम भारत के लगभग केंद्र में स्थित है तथा यह जनपद उत्तर पश्चिम भारत विशेष कर ब्रज क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है अतः अध्ययन क्षेत्र के रूप में आगरा जनपद का चुनाव किया गया है।

- **अध्ययन समग्र/ जनसंख्या**

  उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद की सभी ग्राम पंचायतों के महिला प्रधान अध्ययन की जनसंख्या है। आगरा जनपद में कुल 690 ग्राम पंचायतें हैं। सन् 2021 के चुनाव के आधार पर कुल 235 पंचायतों के प्रधान पद महिलाओं के

लिए आरक्षित है।

- **संगणना/ जनगणना विधि**

संगणना विधि में संबंधित समग्र की प्रत्येक इकाई से सूचना एकत्रित की जाती है। अतः आगरा जनपद की ग्राम पंचायतों की संख्या के आधार पर संगणना विधि का प्रयोग करते हुए सभी 235 महिला प्रधानों का तथ्य संकलन के लिए चुनाव किया जाएगा।

- **तथ्य संकलन के स्त्रोत**

प्रस्तावित अध्ययन को पूरा करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्त्रोतों का प्रयोग किया जाएगा। सूचना दाताओं से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर प्राथमिक स्त्रोतों से आवश्यक तथ्यों को संकलित किया जाएगा। साथ ही विभिन्न प्रकार के प्रकाशित अभिलेखों से, पुस्तकों, पत्रों, शोध पत्रों, पत्रिकाओं, इंटरनेट आदि द्वितीयक स्त्रोतों की सहायता से तथ्यों को एकत्रित किया जाएगा।

- **अध्ययन संयंत्र**

प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु अध्ययन संयंत्र के रूप में उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार, अनुसूची का प्रयोग करने का निश्चय किया गया है।

- **पूर्वगामी सर्वेक्षण द्वारा अध्ययन संयंत्र की जांच**

अध्ययन संयंत्र निर्माण के पश्चात इसकी जांच करने हेतु पांच उत्तर दाताओं पर अध्ययन संयंत्र का प्रयोग कर अध्ययन संयंत्र की जांच की जाएगी। जिसके द्वारा प्रश्नों की उपयोगिता, प्रासंगिकता तथा सटीकता की जांच की जाएगी तथा प्रश्नों में पाई गई कमियों को दूर किया जाएगा।

- **तथ्य संकलन**

अध्ययन संयंत्र की जांच के पश्चात क्षेत्रीय कार्यों के द्वारा उत्तरदाताओं से प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया जाएगा साथ ही विभिन्न स्त्रोतों की आवश्यकता अनुसार द्वितीयक तथ्यों का भी संकलन किया जाएगा।

- **तथ्यों का संपादन एवं संकेतन**

तथ्यों को क्रमबद्ध करना एवं उन्हें व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करना तथ्यों का संपादन कहलाता है। इसी क्रम में संकलित तथ्यों का संपादन कर उनका संकेतन भी किया जाएगा।

- **तथ्यों का वर्गीकरण एवं सामान्यीकरण**

तथ्यों को उनकी समानता एवं असमानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर, उनको विभिन्न श्रेणियों में प्रदर्शित किया जाएगा। तत्पश्चात् उनका विश्लेषण करके अंत में निष्कर्षों का सामान्यीकरण किया जाएगा।

- **तथ्यों का चित्रमय प्रदर्शन**

शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को प्रभावशाली एवं आकर्षक रूप से प्रस्तुत करने हेतु अंत में उनका चित्र, रेखा चित्रों में प्रदर्शन किया जाएगा।

प्रस्तावित अध्ययन सूची

प्रथम अध्याय-

- प्रस्तावना
- अवधारणाओं का स्पष्टीकरण
- सैद्धांतिक रूपरेखा
- साहित्य पुनरावलोकन
- शोध अंतराल
- समस्या कथन
- अध्ययन का महत्व
- अध्ययन के उद्देश्य
- अध्ययन की परिकल्पना
- शोध पद्धति

द्वितीय अध्याय

- पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिला जनप्रतिनिधियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति।

तृतीय अध्याय

- पंचायती राज व्यवस्था में महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी।

चतुर्थ अध्याय

➢ पंचायती राज व्यवस्था में महिला भागीदारी एवं महिला सशक्तिकरण।

पंचम अध्याय

➢ पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिला जनप्रतिनिधियों के समक्ष चुनौतियां

षष्टम अध्याय

➢ पंचायती राज व्यवस्था द्वारा महिला भागीदारी एवं सशक्तिकरण के लिए किया जा रहे शासकीय प्रयास।

सप्तम अध्याय

➢ निष्कर्ष एवं सारांश

➢ उपकल्पनाओं की जांच

➢ क्षेत्र अनुभव एवं आगामी अध्ययन हेतु सुझाव

➢ साक्षात्कार-अनुसूची

संदर्भ ग्रंथ सूची

- Alam, P. (2021). Mahila sashaktikaran Mein Shiksha ka Prabhav: Ek adhyayan. scholarly research journal for interdisciplinary studies. V-8(64).
- Anand, k. (2016). Mahila swabhavlamban. International online multidisciplinary journal. vol- 5 (5).
- Arya, A. (2015). Bhartiya Rajniti Mein mahilaon ki Bhumika. Journal of advance and scholarly research in allied education/Multidisciplinary Academic research. vol-10(19). page 1-6(6).
- Babel, B. (2020). Panchayati Raj evm Gramin Vikas Yojanaen. Rajasthan Hindi Granth Academy. Jaipur.
- Bebtham, J. (1789). An Introduction to the Principales of Moral and Legislation. Quarto publishing Group. New York.
- Brayce, J. (1923). Modern Democracies. National publication house. Delhi.
- Dev, K. (2018). Panchayati Raj: vartman sandrbh mein Ek vishleshanatmak adhyayan. Research in Aliied Education Multidisciplinary academic research. 15(9). 376- 381(6). http://ignited .in /a/58 401.

- Gandhi, M. (1962). Gram Swaraj. Navjeevan Publication House. Ahmedabad.
- Harshveer. (2018). Bharat mein Panchayati Raj ka mahatva evm vishleshanatmak adhyayan. International Journal of research. volume-05 (02).
- Kaur, V. (2020). Mahila sashaktikaran aur kanuni prabandhan. Indian Journal of research. v-9. DOI-10.36106.
- Kumar, S. (2019). Panchayati Raj Mein Mahila sashaktikaran. International Journal of Political Science and governance. vol-2(2). pag 25-29. https://doi.org/10.33545/26646021.2020.v2.i2a.51
- Kumari, M. (2018). Mahila sashaktikaran ki Disha Mein panchayati raj ki Bhumika Bihar ke sandrbh mein. Journal of advance and Socholarly Research in Allied Education/ Multidisciplinary academic research. vol-15 page 548- 550.DOI:10,29 070 / JASRAE.
- Kushwah, H. (2021). Sthaniya svasashan aur Badalti Gramin Shakti sanrachna. International Journal of Creative research thoughts vol-9(7).
- Madhu. (2019). Bharat mein 73th sanvaidhanik sanshodhan adhiniyam ka adhyayan. journal of advances scholary research in allied education (JASRAE)./Multidisiplanary Acadmic research. vol-16(9). pag 1276-1287.
- Mahipal. (2019). Panchayati Raj chunotiya evm sambhavnayen. National Book Trust (NBT). India, New Delhi- 110070.
- Manak Hindi kosh, third part. ed R.C Verma. Hindi Sahitya Sammelan. Prayag. P-344.
- Millett, K. (1970). Sexual Politics. Doubleday. New York.
- Parmar, S. (2017). Narivadi Siddhant aur Vyavahaar. The Orient Blackswan. Hyderabad, Telangana.
- Prasad and Soni. (2019). Mahila sashaktikaran ki vartman sthiti rajnitik sashaktikaran ke paripeksh mein (Umiya Jile ke Vishesh sandrbh Mein). International Journal of reviews and Research and social science. v-7(1). page- 139-146.
- Sahni, P. (2022). Narivad: Bhartiy Sandharv men ek Darshnik Adhyayan. Samwedna Publication. Mukharji agar,Delhi,110009.
- Saxena and Kashyap. (2023). Chhattisgarh ki panchayaton mein mahilaon ka pratinidhitv evm

Mahila sashaktikaran: Ek samajshastriy adhyayan. National Pree reviewed journal of social science. 25(1). pag-72-78.

- Sharma and Bahuguna. (2023). karyshil Mahilaon ke Parivaron mein laingik asamanta ka Badalta Swaroop: Ek SamajShastriya adhyayan. National Pree Reviewed journal of social science. 25(1). pag- 170-176.
- Sharma, P. (2017). Mahila Sashaktikaran our Nariwad. Rawat publication. Jaipur.
- Sharma, S. (2017). Bharat mein Mahila sashaktikaran evm yojanaen: Ek adhyayan. International journal of scientific research in Science and Technology. vol-3(7).
- Singh, K. (2018). Mahila sashaktikaran mudde evm chunautiyan. Janpad Merath ka ek bhaugolik adhyayan. Social Research Foundation. V-3. https://www.social research foundation .com
- Singh, V.N. and Singh, J. (2012). Nariwad. Rawat publication. Jaipur.
- Suryvanshi, D.N and Lekam, L. (2014). Panchaytiraj vayvastha aavyshaykta, mahatv va sujhav. Research J.of humanities and social science. 5(3). 286
- United Nation Development programme (UNDP) United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women). 2023. The path to equal: Twin indices on women's empowerment and gender equality. New York.
- Upasna and Dangwal. (2023). Laingik vishamta evm Gramin mahilayen. National Pree reviewed journal of Social Science. 25(1). pag- 177- 182.
- https://www.census2011.com.in
- https://www.nih.gov
- https://www.mpa.gov.in/
- www.crjis.com
- www.ijcert.org.
- www.ijsrt.com.
- www.unifemm.edu.br